



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 07 फरवरी, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 35,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त राजकुमार पुत्र चन्द्रपाल निवासी सत्यपुरी नई बस्ती थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2016 में थाना नरौरा क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाना व दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 06.02.2016 को थाना नरौरा पर मुअसं- 04/2016 धारा 363/366/376डी भादवि व 04 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 23.02.2016 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 07.02.2025 को न्यायाधीश श्री तरुण कुमार सिंह (मा0 न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजकुमार को 10 वर्ष का कारावास व 35,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील कुमार शर्मा, श्री वरुण कौशिक व श्री आशुतोष का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर ।